



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग**

Phone/Fax :- 01363-244204

E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 3644 / 10/म-CP
सेवा में,

दिनांक : 22/12/2016

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वनप्रभाग
गोपेश्वर, (चमोली)

विषय :- कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- EDS Dated 22 December 2016.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार एवं आप द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	In reply to point no. 2, it is mentioned that 1.099 ha of forest land proposed for diversion required for road construction only has been shown in the component wise breakup in online part-1. The muck disposal is proposed to be done on Nap Land, which is not required to be diverted but the requirement of non-forest land is shown as 0.00 ha in para-A-1 (ix) and the component wise requirement of non-forest land has also not been shown in para-B-2.4 of online Part-1. Further, the non-forest land has not been shown in para-B-2.1, B-2.2 & B-2.3 of online Part-1 also.	इस कार्यालय के पत्रांक 3618/10 एल.ए. दिनांक 21.12.2016 द्वारा उक्त आपत्ति का निराकरण कर आपको प्रस्ताव पुनः प्रेषित किया गया था। प्रस्ताव पुनः उक्त आपत्ति में वापस प्राप्त हुआ है। आपत्ति के सन्दर्भ में पुनः अवगत कराना है कि पार्ट-1 के Para-A-1 (ix) Edit Mode में ना होने के कारण Non-forest land की प्रविष्टि किसी भी Para में नहीं हो पा रही है। Non-forest land की प्रविष्टि करने हेतु Forest Technical Contact Telephone No. 011-24695407 पर वार्ता की गयी तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया की Non-forest land की प्रविष्टि करने हेतु आपको प्रस्ताव Withdraw कर पुनः ऑन लाईन करना होगा तभी Non-forest land की प्रविष्टि हो पायेगी। महोदय अगर प्रस्ताव Withdraw कर पुनः ऑन लाईन किया जायेगा तो वनभूमि हस्तान्तरण/सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने में अधिक समय लगने की पूर्ण सम्भावना बनी रहेगी। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त आपत्ति का निस्तारण अपने स्तर से करने की कृपा करें।

अतः उक्त आपत्ति का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

(जे.पी.रतूड़ी)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग
22/12/16 22/12/16